वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष - 2009-2010

मध्यप्रदेश शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2009–2010

मध्यप्रदेश शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2009–2010

मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2009–2010

मंत्रालय

माननीय मंत्री	–	श्री राघव जी	–	दि. 20.12.2008 से निरंतर
प्रमुख सचिव	–	श्री देवेन्द्र सिंघई	–	दि. 24.05.2008 से निरंतर
उप सचिव	–	श्रीमती राजकुमारी खन्ना	–	दि. 23.3.2009 से 20.7.2009
उप सचिव	–	श्री जी. पी. कबीरपंथी	–	दि. 21.7.2009 से निरंतर
अवर सचिव	–	श्रीमती मीनाक्षी मालवीय	–	दि. 04.3.2008 से 08.12.2009 तक
अवर सचिव	–	श्री एल. एच. वहाने	–	दि. 09.12.2009 से निरंतर

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय – 1	– योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	01
अध्याय – 2	– राज्य योजना आयोग	04
अध्याय – 3	– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	09
अध्याय – 4	– मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद्	20

मध्यप्रदेश शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

अध्याय–1

1. विभाग की प्रशासनिक संरचना –

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की गतिविधियां, निम्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा संपादित की जाती है :

1. राज्य योजना आयोग
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

2. विभागाध्यक्ष –

(1) राज्य योजना आयोग –

राज्य योजना आयोग, जो योजना निर्माण हेतु गठित शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है, के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं । राज्य योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष तथा अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान हैं ।

(2) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय –

राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समंकों के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं एकत्रित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्य को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं ।

3. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय –

1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनरावलोकन तथा मूल्यांकन
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं सहित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन ।
3. भावी योजना बनाना, जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना ।
4. सम्पूर्ण राज्य के लिये, साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिये सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण ।
5. पंचवर्षीय योजना के समग्र राष्ट्रीय उद्‌देश्यों की दृष्टि से राज्य के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
6. स्थानिक और क्षेत्रीय (सेक्टोरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना आयोग से संगत समन्वय करना ।
7. योजना प्रगति का परिवीक्षण, मूल्यांकन और योजना आयोग से संगत जानकारी एकत्रित करना ।
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।
9. योजना आयोग से संबंधित समस्त विषय ।

10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर सांख्यिकी तथा आर्थिक अन्वीक्षा से संबंधित समस्त विषय ।
11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा ।
12. औद्योगिक सांख्यिकी जिसमें औद्योगिकी सांख्यिकी अधिनियम, 1948 तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 का प्रशासन शामिल है
13. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणामों का प्रकाशन ।
14. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से संबंधित समस्त विषय ।
15. जन अभियान परिषद से सम्बन्धित विषय ।
16. बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
17. महाकौशल विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
18. विन्ध्य विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
19. विधान सभा क्षेत्र विकास योजना निधि से संबंधित विषय ।
20. विधायक स्वेच्छानुदान निधि से संबंधित समस्त विषय।
21. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड, अभ्यावेदन तथा अपीलें) ।
22. प्रदेश में सांख्यिकी कार्य में समन्वय, उसमें एकरूपता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिये तथा एक सक्षम सांख्यिकी तंत्र के विकास हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य / विषय ।

4. अधिनियम तथा नियम :

1. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969
2. मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008
3. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 यथा संशोधित अधिनियम 2008
4. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19, सन् 1995)
5. मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1973 संशोधित नियम 1999
6. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995
7. मध्यप्रदेश जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य, सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995
8. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (यात्रा भत्ता) नियम, 1995
9. मध्यप्रदेश जिलाा योजना समिति(कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1999
10. औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948)

5. विभाग के अधीन सेवायें:

1. मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग सेवा ।
2. मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक तथा सांख्यिकी (राज पत्रित) सेवा
3. मध्य प्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यपालिक सेवा ।
4. मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसचिवीय सेवा।
5. मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी चतुर्थ श्रेणी सेवा।

6. वित्तीय प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 2009–2010 में स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

(लाख रूपयों में)

क्र	कार्यालय	स्वीकृत बजट प्रावधान 2009–2010	पुनरीक्षित अनुमान 2009–2010	वास्तविक व्यय (30–11–09 की स्थिति)	प्रस्तावित बजट 2010–2011
1	2	3	4	5	6
1.	**राज्य योजना आयोग**				
	(अ) राज्य योजना आयोग	240.17	240.17	148.81	251.95
	(ब) राज्य योजना आयोग का सुदृढ़ीकरण	300.00	300.00	0.00	100.00
	(स) जनभागीदारी योजना	9022.00	9022.00	3658.19	संचालनालय आर्थिक एवं सांख्यिकी को हस्तांतरित
	(द) विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढ़ीकरण	200.00	1000.00	0.00	2200.00
	(इ) नवाचार प्रोत्साहन	400.00	400.00	82.00	200.00
	योग–राज्य योजना आयोग	10162.17	10962.17	3889.00	2751.95
2.	**आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मांग संख्या–31 शीर्ष– 3454 अ– आयोजनेत्तर**				
	5272–विधायक स्वेच्छा अनुदान	693.00	693.00	257.09	693.00
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	2095.47	2095.47	1324.26	2528.27
	जन्म–मृत्यु सांख्यिकी	204.07	204.07	114.96	234.28
	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	142.59	142.59	64.00	148.96
	योग अ– आयोजनेत्तर	**3135.13**	**3135.13**	**1760.31**	**3604.51**
	ब– राज्य आयोजना				
	6562– जन्म–मृत्यु रजि.अधि. 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	38.00	38.00	0.00	100.00
	6564– जिला सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	12.00	12.00	0.00	12.00
	6293–सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.00	2.00	0.48	2.00
	8740–जीवनांक संभाग का सुदृढ़ीकरण	2.00	2.00	0.00	250.00
	8808–सूचना प्रौद्योगिकी	10.00	10.00	0.00	5.00
	योग	**64.00**	**64.00**	**0.48**	**369.00**
	8284–मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	-	-	-	-
	सामान्य	11473.00	11473.00	3402.22	11473.00
	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3619.00	3619.00	1081.73	3619.00
	अनुसूचित जाति उपयोजना	2695.00	2695.00	884.52	2695.00
	योग 8284	**17787.00**	**17787.00**	**5368.47**	**17787.00**
	जनभागीदारी योजना	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9609.50**
	6270–जन अभियान परिषद	**1900.00**	**1900.00**	**500.00**	**2626.50**
	विन्ध्य विकास प्राधिकरण	**300.00**	**300.00**	_	**300.74**
	महाकौशल विकास प्राधिकरण	**300.00**	**300.00**	**273.63**	**299.80**
	बुंन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण	**500.00**	**500.00**	**309.01**	**428.70**
	योग ब–राज्य आयोजना	**20851.00**	**20851.00**	**6451.59**	**31421.24**
	महायोग अ+ब	**23986.13**	**23986.13**	**8211.90**	**35025.75**

अध्याय – 2

राज्य योजना आयोग

विभागीय संरचना

राज्य के योजनाबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास करने राज्य के संसाधनों का आंकलन कर उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, सामाजिक व आर्थिक विकास की राह में आने वाली रूकावटों को दूर करने तथा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण, मूल्यांकन व पुनरावलोकन करने के उद्देश्य से राज्य योजना मण्डल का गठन दिनांक 24.10. 1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया था। दिनांक 21.09.2007 को इसका नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ–9–9/2004/23, यो.आ.सां., भोपाल दिनांक 27.06.2008 के द्वारा राज्य योजना आयोग का पुर्नगठन किया गया है, जिसके अनुसार आयोग का स्वरूप इस प्रकार है :–

राज्य योजना आयोग का स्वरूप

1.	मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष	–	राज्य शासन द्वारा मनोनीत
3.	मंत्री, वित्त एवं योजना, म.प्र.शासन	–	सदस्य
4.	मंत्री, अनुसूचित जाति, म.प्र.शासन	–	सदस्य
5.	मंत्री, अनुसूचित जनजाति, म.प्र.शासन	–	सदस्य
6.	मुख्य सचिव, म.प्र.शासन	–	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, वित्त, म.प्र.शासन	–	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति, म.प्र.शासन	–	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव,अनुसूचित जनजाति,म.प्र.शासन	–	सदस्य
10.	श्री रामहित गुप्त, सतना	–	अंशकालीन सदस्य
11.	श्री शरद चन्द जैन, इन्दौर	–	अंशकालीन सदस्य
12.	श्री विनोद मिश्र, जबलपुर	–	अंशकालीन सदस्य
13.	श्री पूरन चन्द अणवानी, बालाघाट	–	अंशकालीन सदस्य
14.	श्री सुधीर गुप्ता, मन्दसौर	–	अंशकालीन सदस्य
15.	श्री प्रीतमलाल दुआ, इन्दौर	–	अंशकालीन सदस्य
16.	श्रीमती सावित्री सिंह, दतिया	–	अंशकालीन सदस्य
17.	प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र.शासन	–	सदस्य सचिव

राज्य योजना आयोग के स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	उपाध्यक्ष	म.प्र. शासन द्वारा मनोनीत, निर्धारित शर्तो पर	1	–	1	–
विभागाध्यक्ष						
1.	सदस्य सचिव	संवर्गीय भा.प्र.से. वेतनमान	1	1	–	–
प्रथम श्रेणी						
2.	अपर सचिव/ उप सचिव	37400–67000+ विशेष वेतन	1	–	1	–
3.	अवर सचिव	15600–39100	1	1	–	–
4.	सलाहकार	37400–67000+ संवर्गीय वेतनमान	2	2	–	–
द्वितीय श्रेणी						
6.	सहायक सलाहकार	15600–39100	4	1	3	–
7.	लेखाधिकारी	15600–39100	1	1	–	–
8.	प्रशासकीय अधिकारी	15600–39100	1	1	–	–
तृतीय श्रेणी						
9.	निज सचिव	9300–34800	2	1	1	–
10.	निज सहायक	9300–34800	3	3	–	–
11.	शीघ्रलेखक श्रेणी–3	5200–20200	2	1	1	–
12.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9300–34800	3	2	1	–
13.	अन्वेषक	5200–20200	7	7	–	–
14.	लेखापाल	5200–20200	1	1	–	–
15.	सहायक ग्रेड–1	5200–20200	2	2	–	–
16.	सहायक ग्रेड–2	5200–20200	4	4	–	–
17.	सहायक ग्रेड–3	5200–20200	6	6	–	–
18.	सुरक्षा गार्ड	5200–20200	4	1	3	सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।
19.	वाहन चालक	5200–20200	5	5	–	–
20.	जमादार/दफतरी	4440–7440	6	6	–	–
21.	भृत्य	4440–7440	12	12	–	–
22.	स्वीपर	4440–7440	1	1	–	–
23.	फर्राश	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	1	1	–	–
24.	पार्ट टाईम स्वीपर	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	1	1	–	–
	योग		**72**	**61**	**11**	**–**

2. राज्य योजना आयोग के दायित्व –

राज्य योजना आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते है :–

(1) राज्य के संसाधनों का आंकलन एवं इनके समुचित उपयोग हेतु योजनायें तैयार करना ।

(2) जिला योजना तैयार करने एवं इसको राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु जिला योजना अधिकारियों को सहायता प्रदान करना ।

(3) राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु सुझाव देना ।

(4) योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का पुनरावलोकन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना और आवश्यकतानुसार नीतियों/उपायों में ऐसे समायोजनों की अनुशंसा करना ।

(5) योजनाओं की प्राथमिकतायें निर्धारित करना ।

(6) योजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने के लिये गठित विभिन्न वित्तीय समितियों की बैठकों में भाग लेकर योगदान देना ।

3. राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियाँ :

1. राज्य योजना

राज्य योजना आयोग द्वारा भारत सरकार योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र के मद्देनजर एवं राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर 11 वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं । 2007–08 के लिए योजना आयोग, द्वारा भारत सरकार से चर्चा उपरांत रूपये 12011.00 करोड़, 2008–09 के लिये रूपये 14061.19 करोड़ एवं 2009–10 के लिए रूपये 16174.16 करोड़ की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन किया गया । वार्षिक योजना 2010–11 के लिये रूपये 16920.00 करोड़ की योजना सीमा प्रस्तावित है।

राज्य योजना आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना है । राज्य योजना आयोग द्वारा वर्ष 2008–09 की वार्षिक समीक्षा तथा वार्षिक योजना 2009–10 की अर्द्धवार्षिक समीक्षा की जा चुकी है।

2. जिला योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार वर्ष 2002–03 से जिला स्तर पर योजनाए तैयार की जाकर राज्य स्तर पर जिलेवार, विभागवार व योजनावार समीक्षा करने का कार्य प्रांरभ किया गया है। राज्य योजना आयोग के मार्गदर्शन में समस्त जिलों की जिलेवार योजनाए वर्ष 2010–11 तैयार की गई है। जिलों की प्रस्तावित योजनाओं पर सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग से चर्चा उपरांत जिला योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

3. जिला योजना समिति

संविधान के 73 वें संशोधन के संदर्भ में प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायतों का गठन तथा नगरीय निकायों को भी जीवंत स्वरूप दिया गया है। जिले एवं निचले स्तर से नियोजन कार्य के लिये व्यवस्था निर्मित करने के लिये राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद–243 य, घ के अंतर्गत जिला योजना समितियों का प्रावधान किया गया है, जिनके अध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा नामांकित मंत्री है। समिति में जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सहित 10 से 20 सदस्य होंगे। जिलाध्यक्ष समिति के सदस्य सचिव हैं। इनके अतिरिक्त लोक सभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप में समिति की बैठको में सम्मिलित होते है। जिला योजना समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप–समितियां गठित कर सकेगी। विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित यह उपसमितियाँ उनके क्षेत्रान्तर्गत कराये जा रहे कार्यो/प्रयासों की निरन्तर समीक्षा एवं मॉनीटरिंग करने के साथ–साथ अपने विषयों से संबंधित सुझाव दे सकेगी।

4. वेबसाईट

राज्य योजना आयोग से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाईट **http:/www.mp.nic.planning** पर प्रदर्शित की जा रही है ।

5. जनभागीदारी योजना

योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिलों को प्रदाय आवंटन रूपये 86.50 करोड़ में से मार्च 2009 तक रूपये 81.97 करोड़ व्यय हुए । वर्ष 2009–10 में जिलों को आवंटित राशि रूपये 77.24 करोड़ के विरूद्ध नवम्बर, 2009 तक रूपये 36.58 करोड़ व्यय किये जा चुके है ।

जनभागीदारी योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यो का विवरण निम्नानुसार है ।

(नवम्बर 2009 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्णकार्य	प्रगति पर
1	2	3	4
2008–09	2993	1351	1642
2009–10	1515	466	1049

जनभागीदारी योजना के तहत आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कराए गए कार्यो का विवरण :–

मांग संख्या – 41

(नवम्बर 2009 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्णकार्य	प्रगति पर
1	2	3	4
2007–08	722	562	210
2008–09	806	361	445

मांग संख्या – 64

(नवम्बर 2009 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्णकार्य	प्रगति पर
1	2	3	4
2007–08	350	215	135
2008–09	440	217	223

वर्ष 2010–11 से यह योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित की गई है ।

6. नवाचार को प्रोत्साहन –

प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों द्वारा नीति में विभिन्न स्तरों पर सृजनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2007–08 से नवाचार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में रूपये 400.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से दिनांक 30–11–2009 तक 82.00 लाख रूपये व्यय हुआ है।

अध्याय – 3

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समंकों का एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा सम्पादित किया जाता है।

2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दायित्व :

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, विकास से संबंधित आधारभूत समंकों का संकलन तथा प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि के द्वारा समाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने का महत्वपूर्ण दायित्व आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का है । राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश क्रमांक एफ–19–124/2009/ 1/4, दिनांक 3–11–2009 द्वारा सांख्यिकी गतिविधियों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं राज्य में सांख्यिकी समन्वय के लिये आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को नोडल ऐजेन्सी घोषित किया गया है ।

राज्य शासन ने संचालक, (अब आयुक्त) आर्थिक एवं सांख्यिकी को विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) का दायित्व भी सौंपा है, इसके साथ ही साथ आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य रजिस्ट्रार, विवाह पंजीयन का दायित्व भी सौंपा गया है उपरोक्त के परिपालन में संचालनालय द्वारा प्रदेश में जन्म–मृत्यु पंजीयन तथा विवाह पंजीयन का कार्य ग्रामीण एवं नगरीय इकाईयों के माध्यम से कराया जा रहा है ।

3. संचालनालय के प्रमुख कार्य :

1. राज्य की अर्थव्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तथा इससे संबंधित प्रकाशन तैयार करना ।
2. राज्यीय आय के स्थिर (1999–2000) एवं प्रचलित भावों पर सकल एवं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना ।
3. राज्य शासन के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण तैयार करना ।
4. गणना एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य ।
5. जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य ।
6. विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम 2008 के तहत विवाह पंजीयन कार्य
7. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य ।
8. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना ।
9. समाजार्थिक विकास के अन्तर्राज्यीय, जिला एवं जनपदवार संकेतक तैयार करना ।

10. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन के अंतर्गत शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की गणना ।

11. राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना तथा उनकी सांख्यिकी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की जांच एवं परीक्षण करना है ।

4. विभागीय संरचना :

संचालनालय एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सेटअप

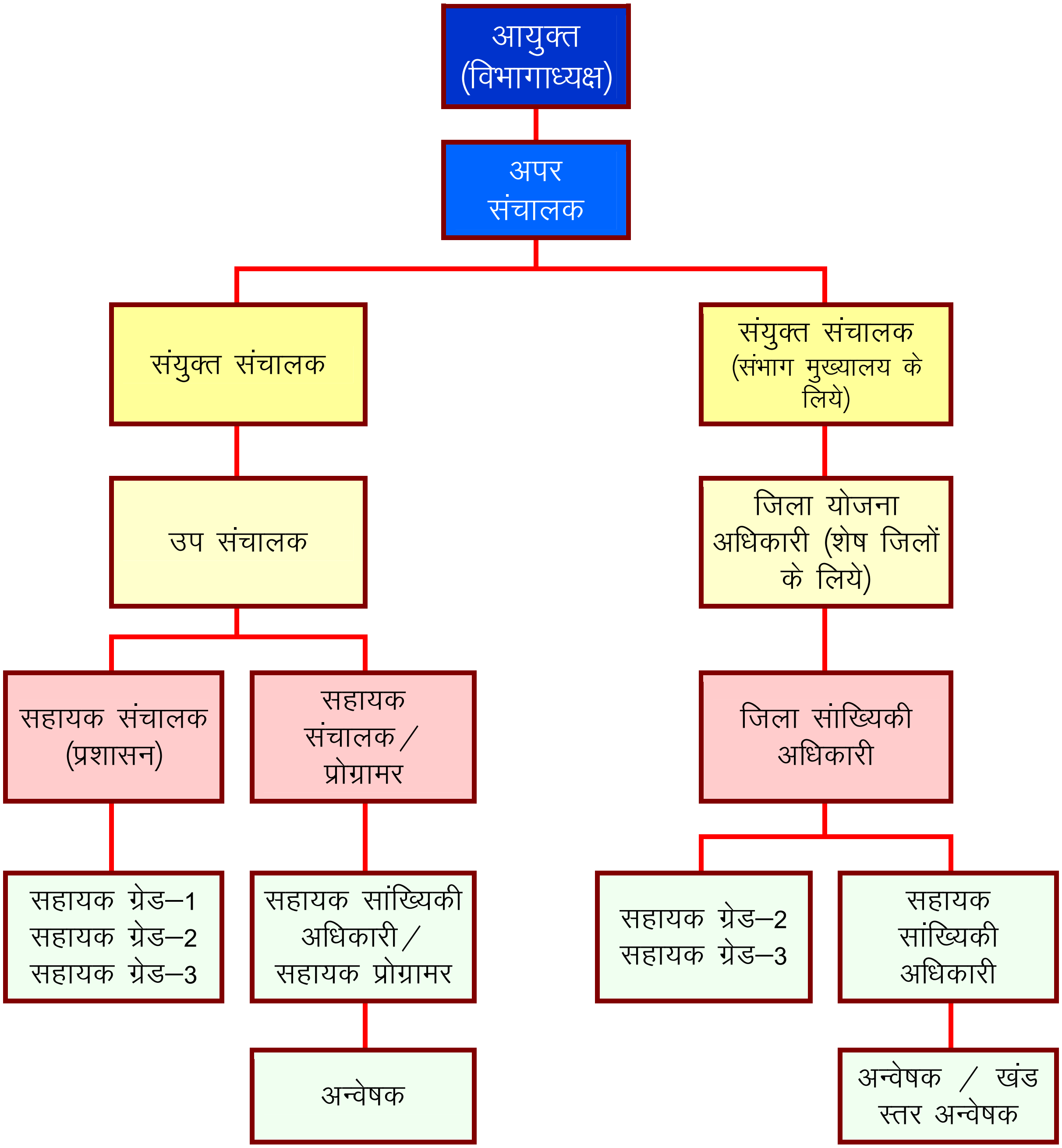

4.1 विभागीय अमले की जानकारी :

संचालनालय, संभाग/जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर तथा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अमले का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिर्माक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
राजपत्रित प्रथम श्रेणी						
1.	आयुक्त	PB-4 Rs.37400-67000+Rs. 8900	01	-	01	
2.	अपर संचालक	PB-4 Rs.37400-67000 +Rs. 8700	01	-	01	
3.	संयुक्त संचालक	PB-3 Rs.15600-39100 +Rs. 7600	11	10	01	
4.	उपसंचा./चीफ प्रोग्रामर/ जिला योजना अधिकारी	PB-3 Rs.15600-39100 +Rs. 6600	46	16	30	
द्वितीय श्रेणी अधिकारी						
1.	जिला सांख्यिकी अधिकारी/ सहा.संचालक	PB-3 Rs.15600-39100 +Rs. 5400	66	22	44	
2.	प्रोग्रामर	PB-3 Rs.15600-39100 +Rs. 5400	04	-	04	
3.	लेखाधिकारी	PB-3 Rs.15600-39100 +Rs. 5400	01	01	-	
4.	सहायक संचालक(प्रशा.)	PB-2 Rs.9300-34800 +Rs. 4200	01	01	-	
तृतीय श्रेणी						
1.	सहायक सांख्यिकी अधि.	PB-2 Rs.9300-34800 +Rs. 3600	338	269	69	
2.	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	PB-1 Rs.5200-20200 +Rs. 2400 (1.4.06 से PB-1 Rs.5200-20200 +Rs.2800)	360	167	193	
3.	संगणक	PB-1 Rs.5200-20200 +Rs. 2100	24	24	–	24 सांख्येतर
4.	सहायक प्रोग्रामर	PB-2 Rs.9300-34800 +Rs. 3200 (1.4.06 से PB-2 Rs.9300-34800 +Rs.3600)	14	04	10	
5.	अधीक्षक	PB-2 Rs.9300-34800 +Rs. 3600	04	01	03	
6.	सहायक ग्रेड–1	PB-1 Rs.5200-20200 +Rs. 2800	09	09	-	
7.	सहायक ग्रेड–2	PB-1 Rs.5200-20200 +Rs. 2400	61	40	21	
8.	सहायक ग्रेड–3	PB-1 Rs.5200-20200 +Rs. 1900	123	113	10	
9.	वरिष्ठ निज सहायक	PB-2 Rs.9300-34800 +Rs. 4200	01	01	-	
10.	निज सहायक	PB-2 Rs.9300-34800 +Rs. 3600	01	-	01	
11.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	PB-1 Rs.5200-20200 +Rs. 2400	03	02	01	
12.	शीघ्रलेखक	PB-1 Rs.5200-20200 +Rs. 2800	33	33	-	20 सांख्येतर
13.	स्टेनोटायपिस्ट	PB-1 Rs.5200-20200 +Rs. 1900	19	08	11	
14.	पुस्तकाध्यक्ष	PB-1 Rs.5200-20200 +Rs. 2800	01	-	01	
15.	वरिष्ठ कलाकार	PB-2 Rs.9300–34800 +Rs. 3200 (1.4.06 से PB-2 Rs.9300–34800 +Rs.3600)	01	01	—	01 सांख्येतर
16.	कलाकार	PB-2 Rs.9300-34800 +Rs. 3200 (1-4-06 ls PB-1 Rs.5200-20200 +Rs.2400)	01	01	—	01 सांख्येतर
17.	के.पी.ओ./व्हेरीफायर	PB-1 Rs.5200–20200 +Rs. 2100	02	02	—	02 सांख्येतर

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिर्माक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18.	पंचरूम सुपरवाइजर	PB-1 Rs.5200–20200 +Rs. 2800	01	-	01	
19.	वाहन चालक	PB-1 Rs.5200–20200 +Rs. 1900	39	35	04	
चतुर्थ श्रेणी						
1.	सुपर वाइजर	PB-1 Rs.5200–20200 +Rs. 1900	01	-	01	
2.	दफ्तरी	IS- Rs.4440–7440 +Rs. 1400	03	01	02	
3	मशीन मेन	IS- Rs.4440–7440 +Rs. 1400	01	01	-	01 सांख्येतर
4	भृत्य	IS - Rs.4440–7440 +Rs. 1300	133	121	12	
आकस्मिकता निधि						
1.	वाटरमेन कम फर्राश/स्वीपर	कलेक्टर रेट	12	10	02	10 सांख्येतर
2.	चौकी.दार	कलेक्टर रेट	02	–	02	
3.	वाहन चालक	कलेक्टर रेट	05	03	02	
	योग		**1323**	**896**	**427**	

4.2 संचालनालय स्तर पर गठित संभाग/इकाईयां

संचालनालय स्तर पर सम्पूर्ण कार्य निम्नानुसार प्रमुख संभागों/ईकाईयों द्वारा चार संयुक्त संचालकों के अधीन पांच उप संचालको द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
में कार्यरत तकनीकी एवं प्रशासनिक संभागों के कार्यों का विवरण

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
1	2	3
1	प्रशासन	1. सामान्य प्रशासन, स्थापना, लेखा तथा लेखा परीक्षण
2	राज्यीय आय	1. राज्य तथा जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना
		2. कृषि, वित्तीय तथा व्यापारिक सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन
3	औद्योगिक एवं खनिज सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज एवं ऊर्जा सांख्यिकी का एकत्रीकरण
		2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों का निर्माण तथा औद्योगिक अनुसूचियों की परीनिरीक्षा
4	आर्थिक विश्लेषण	1. राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण/समीक्षा तैयार करना
		2. क्षेत्रीय सामाजार्थिक विकास संकेतांक तैयार करना

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
1	2	3
5	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण/सारणीयन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना
		2. आर्थिक गणना
6	राज्यीय सर्वेक्षण	1. शासन के कल्याणकारी योजनाओं का सामाजार्थिक सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना
7	सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी समन्वय स्थापित करना
		2. विभागीय योजनाएं तैयार करना
		3. प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन आदि के लिये नामांकन एवं अनुवर्तन कार्यवाही
8	सामाजिक एवं विविध सांख्यिकी	1. गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी, स्वास्थ्य परिवार तथा समाज कल्याण, औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण, मनोरंजन, जेल, न्यायपालिका, पुलिस, अपराध, श्रम रोजगार तथा विविध सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं सांख्यिकी कोष का निर्माण
		2. मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की गणना
9	पूंजी निर्माण	1. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना
		2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण
10	लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययकों का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण
		2. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं का सांख्यिकी एकत्रीकरण
11	मूल्य सांख्यिकी एवं बाजार समाचार	1. थोक तथा फुटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा तथा बाजार समाचार अध्ययन
12	सूचना प्रौद्योगिकी एवं समंक सारणीयन	1. समंकों का कम्पयूटरीकरण
		2. संचालनालय के प्रकाशनों पर कम्प्यूटर पर संधारण
13	जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 एवं नियम 1999 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन
		2. मृत्यु के कारणों का अंर्तराष्ट्रीय प्रमाण पत्र

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
1	2	3
		3. विवाह पंजीयन अधिनियम 2008 के अन्तर्गत विवाहों का पंजीयन कराना
14	पुस्तकालय	1. आर्थिक, सांख्यिकी तथा सामाजार्थिक सांख्यिकी से संबंधित पुस्तकों/प्रकाशनों का रखरखाव
15	सांख्यिकी प्रकाशन	1. राज्य स्तरीय नियमित एवं तदर्थ सांख्यिकी प्रकशनों को तैयार करना एवं प्रकाशित करना
16	जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिला सांख्यिकी कार्यालयों का तकनीकी मार्गदर्शन/परामर्श देना तथा तकनीकी निरीक्षण
		2. जिला स्तरीय प्रकाशनों की परिनिरीक्षा एवं गुणात्मक सुधार लाने के उपाय सुझाना

4.3 अधीनस्थ कार्यालय :

मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिनस्थ 7 संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में संयुक्त संचालकों को (प्रथम श्रेणी) एवं 38 जिलों में जिला योजना अधिकारी, (प्रथम श्रेंणी) तथा 5 जिलों में द्वितीय श्रेंणी अधिकारी कार्यालय प्रमुख घोषित है ।

4.4 विभागीय पदोन्नतियां :

दिनांक 01.04.2009 से 31.12.2009 की अवधि में प्रथम श्रेणी संवर्ग में 02 अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी संवर्ग में 06 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है ।

4.5 विभागीय जांच :

द्वितीय श्रेणी अधिकारी के विरूद्ध एक, तृतीय श्रेणी के विरूद्ध एक (अनुसचिवीय संवर्ग) तथा चतुर्थ श्रेणी के विरूद्ध एक प्रकरण वर्तमान में प्रचलित है ।

4.6 स्थानांतरण :

दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 की स्थिति में 03 प्रथम श्रेणी अधिकारी, 03 द्वितीय श्रेणी अधिकारी, 19 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक एवं अनुसचिवीय संवर्ग एवं 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर एवं स्वयं के व्यय पर किये गये है । जिसमें से तृतीय श्रेणी के 04 स्थानांतरण निरस्त किये गये ।

4.7 न्यायालयीन प्रकरणों की स्थति :

दिनांक 31.12.2009 तक 56 न्यायालयीन प्रकरणों में से सभी प्रकरणों में जवाबदावा प्रेषित किया जा चुका है, एवं सभी प्रकारण माननीय न्यायालय के विचाराधीन है ।

5. संसदीय एवं विधि विषयक कार्यो की जानकारी :–

वर्ष 2009–10, में 31.12.2009 तक 20 विधानसभा प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनमें 09 तारांकित एवं 11 अतारांकित प्रश्न थे । 20 विधानसभा प्रश्नों में से सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किये गये हैं । कोई विधेयक, शून्य कालीन सूचना, अपूर्ण उत्तर लंबित नहीं है ।

6. वेबसाइट :

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की वेबसाईट पर विभाग के महत्वपूर्ण प्रकाशन, प्रपत्र एवं नियमों इत्यादि की जानकारी प्रदर्शित की गयी है । विभाग की वेबसाईट का Address : http:\\www.mp.gov.in/des है ।

7. राज्य योजनाएं :

7.1 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :

29 जुलाई, 1994 से प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना लागू की गई है । वर्तमान में योजनान्तर्गत मान. विधायकों को 77.00 लाख रूपये की राशि के पूंजीगत स्वरूप के निर्माण कार्यो की अनुशंसा करने का प्रावधान है । इस योजना में वर्ष 2009–10 में राशि रूपये 177.87 करोड़ आवंटित किये गये है । 2010–11 में रूपये 177.87 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यो का विवरण इस प्रकार है :–

(31 दिसम्बर 2009 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अप्रारंभ कार्य	निरस्त कार्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2008–09	15317	10528	4322	392	75
2009–10	6781	1133	3663	1980	5

आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कराये गये कार्यो का विवरण :–

मांग संख्या – 41

(राशि लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2009 की स्थिति)

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अप्रारंभ कार्य	निरस्त कार्य
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	3157.00	1640	1185	425	18	12
2009–10	3619	1235	243	690	302	–

मांग संख्या – 64

(राशि लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2009 की स्थिति)

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अप्रारंभ कार्य	निरस्त कार्य
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	2618.00	2567	1885	650	29	3
2009–10	2695.00	1256	213	662	381	–

7.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :

सांसद स्थनीय क्षेत्र विकास योजना :

प्रदेश में, वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृत कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है ।

(राशि लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2009 की स्थिति)

वर्ष	आवंटन (करोड़ रूपये में)	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अप्रारंभ कार्य	निरस्त कार्य
1	2	3	4	5	6	7
2008–09	7856.38	6691	3980	2334	327	50
2009–10	3018.23	668	75	258	304	31

8. वर्ष में आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें :

1. दिनांक 19 अगस्त 2009 को विवाह पंजीयन कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए राज्य स्तरीय सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन किया गया । उक्त कार्यशाला का उद्घाटन माननीय मंत्री योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा किया गया ।

2. मानव विकास के लिए राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण विषय पर दो सेमिनार दिनांक 12–11–2009 एवं 5–01–2010 को आयोजित किये गये । इन सेमिनारों का मुख्य उद्देश्य संकलित संमको को बहुउपयोगी बनाना तथा समंक संकलन में दोहराव को रोकना है । उक्त सेमिनारों में 22 लाईन विभागों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों ने भाग लिया । उक्त सेमिनारों का उद्घाटन माननीय मंत्री, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा किया गया ।

9. प्रशिक्षण :

विभागीय अमले के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी विषयों पर 84 अधिकारियों/कर्मचारियों को, प्रशासन अकादमी म. प्र. भोपाल में प्रशिक्षण दिया गया । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, भोपाल में 16 अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन किया गया, जिसके विरूद्व 5 अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण स्वीकृति प्राप्त हुई।

10. नियमित प्रकाशन :

(अ) संचालनालय स्तरीय प्रकाशन

1. मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण
2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन
3. मध्य प्रदेश का आय–व्ययक संक्षेप में
4. मध्य प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान
5. जिला घरेलु उत्पाद के अनुमान वर्ष 1999–2000 से 2007–08(प्रथम बार प्रकाशित)
6. मध्यप्रदेश राज्य के प्रमुख आंकड़े (फोल्डर)
7. मध्यप्रदेश एट ए ग्लांस
8. मध्यप्रदेश का सांख्यिकी संक्षेप (द्विवार्षिक)
9. वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी
10. अन्तर्राज्यीय समाजार्थिक विकास के संकेतक (द्विवार्षिक)
11. जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतक
12. मध्यप्रदेश में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान
13. मध्यप्रदेश के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण
14. जनपद स्तरीय समाजार्थिक विकास संकेतांक
15. मध्यप्रदेश में कृषि विपणन

(ब) जिला स्तरीय प्रकाशन :

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका
2. जिले के प्रमुख आंकड़े
3. जनपद के प्रमुख आंकड़े
4. जिला विकास पुस्तिका

11. अभिनव योजनायें :–

11.1 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य :

राज्य में जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन जन्म–मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 तथा राज्य नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है । जन्म–मृत्यु पंजीयन हेतु आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य पंजीयक का उत्तरदायित्व सौंपा है, वही ग्रामीण क्षेत्र के लिये ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, केन्टोनमेन्ट बोर्ड स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन शत–प्रतिशत करने के उद्देश्य से पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। विगत वर्षो में जन्म पंजीयन हेतु किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप जहां राज्य में जन्म का पंजीयन वर्ष 2004 में 50.46 प्रतिशत था यह बढ़कर वर्ष 2008 में 82.01 प्रतिशत हो गया ।

प्रदेश में 0–10 वर्ष तक के आयु समूह के अपंजीकृत बच्चों को पंजीकृत कर उन्हें जन्म प्रमाण पत्र वितरण करने का विशेष राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निर्धारित 1.16 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर 2009 तक 92.04 लाख अपंजीकृत बच्चों का पंजीयन कर प्रमाण–पत्र वितरित किये गये।

11.2 विवाह पंजीयन :

भारत के सर्वोच्च्य न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2008 के द्वारा ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/केन्टोनमेन्ट बोर्ड को विवाह पंजीयन इकाई घोषित किया है एवं साथ ही यह भी व्यवस्था की है कि जब तक उपनियम(1) के आधीन अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है तब तक स्थानीय प्राधिकारी जो जन्म–मृत्यु की घटनाओं को रजिस्ट्रीकृत करने के लिये सक्षम है, स्थानीय क्षेत्र के लिये विवाह रजिस्ट्रार होगें। विवाह पंजीयन कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिये राज्य स्तरीय सेमीनार / कार्यशाला का 19 अगस्त 2009 में आयोजन किया गया।

11.3 राज्य घरेलु आय के अनुमान :

राज्य की अर्थव्यवस्था का आंकलन करने के उद्देश्य से संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष राज्य घरेलु उत्पाद के अनुमान अर्थात राज्यीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय के अनुमानों प्रावधिक एवं त्वरित स्थिर (1999–2000) एवं प्रचलित भावों पर तैयार किये जाते है । वर्ष 2008–09 के त्वरित राज्य घरेलु आय के अनुमान तैयार कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये है । इसके साथ–साथ संचालनालय द्वारा प्रथम बार जिला आय के अनुमान 1999–2000 से 2007–08 तक तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली को भेजे गये

11.4 गणना एवं सर्वेक्षण कार्य :

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के 66 वें दौर का कार्य केन्द्रीय शासन के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में दिनांक 1 जुलाई 2009 से प्रारंभ कर दिया है । जिसकी अवधि 1 जुलाई 2009 से 30 जून 2010 तक है ।

1 जुलाई 2009 से 66 वें दौर के (राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण) का कार्य प्रारंभ किया गया जो कि जून 2010 तक किया जावेगा । 66 वें दौर में ग्रमीण न्यादर्शो की संख्या 344 एवं नगरीय न्यादर्शो की संख्या 248 है इस प्रकार कुल 592 न्यादर्शो का सर्वेक्षण किया जाना है । उक्त दौर में 0.0 परिवारों की सूची,, 1.0 (टाईप–1) मासिक, 1.0 (टाईप–2) साप्ताहिक परिवारिक उपभोक्ता व्यय सम्बधी जानकरी, 10 रोजगार एवं बेरोजगार सम्बधी जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण का माह नवम्बर में संभाग स्तर पर आदर्श परिनिरीक्षा शिविरों का आयोजन किया गया । जिसमें भोपाल, सागर तथा उज्जैन संभाग के 66 वें दौर की भरी हुई अनुसूचियों की जाँच की गई । शेष सभांग में आदर्श परिनिरीक्षा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में दिनांक 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009 तक ''निर्धनता मापांक एंव उपभोपक्ता'' व्यय के 2123 न्यादर्शो का सर्वेक्षण किया जाना था । जिसमें परिवार की सूची तथा शिक्षा स्वास्थ्य, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, क्रियाकलाप, आवासीय सुविधाए, वैधता एंव सम्पत्ति स्वामितव, सरकारी कार्यक्रम एंव सेवाए सिंचाई प्रसार

सेवाये (केवल ग्रामीण परिवारों के लिये) एंव सुविधाओं तक पहुंच के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गई ।

निर्धनाता मापांक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है । भरी हुई अनुसूचियों की डटा एन्ट्री एवं वेलीडेशन का कार्य प्रगति पर है ।

11.5 जन अभियान परिषद :

स्वंय सेवी संस्थाओं के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा जारी नीति अनुसार स्वंय सेवी संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन ने जन अभियान परिषद के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं के हित में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । जन अभियान परिषद को उक्त कार्य हेतु संचालनालय से अनुदान प्रदत्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

11.6 विकास प्राधिकरण :

राज्य में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत सागर संभाग के सागर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, पन्ना, एवं ग्वालियर संभाग के दतिया जिले को सम्मिलित किया गया है । प्राधिकरण में तीन उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है । प्राधिकरण के अध्यक्ष को मंत्री एवं उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है । इसी प्रकार विन्ध्य क्षेत्र के विकास हेतु विन्ध्य विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी सिंगरौली, डिण्डौरी एवं उमरिया जिलों कों सम्मिलित किया गया है, तथा तीसरा महाकौशल विकास प्राधिकरण का गठन कर जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, कटनी, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा जिलों को सम्मिलित किया गया है । विकास प्राधिकरणों द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत जिले के विकास कार्य किये जाते है ।

अध्याय – 4

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद

स्वैच्छिक संगठनों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु माह मार्च 1996 में एक स्वायत्त शासी संस्था का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस संस्था से शासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई।

तद्नुसार म.प्र. राज्य में जन अभियान परिषद् का गठन किया जाकर दिनांक 04/07/1997 को रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीस के अंतर्गत पंजीयन कराया गया। संस्था का पंजीयन क्रमांक 4964/97 हैं।

संगठनात्मक ढांचा :

म.प्र. जन अभियान परिषद् एक उच्चस्तरीय शासी निकाय द्वारा संचालित संस्था है। इसके अध्यक्ष म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री हैं तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री तथा किसी एक प्रतिष्ठित संस्था से अशासकीय सदस्य इस प्रकार इसके दो उपाध्यक्ष हैं। इसमें विभिन्न विभागों के मंत्री और 14 स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य हैं। शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होती है। म.प्र. जन अभियान परिषद् के संचालन हेतु गठित कार्यकारी परिषद् के सभापति मुख्य सचिव है। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और पाँच स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। कार्यकारी परिषद्, शासी निकाय मण्डल के अभिमत को क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के उपयोग में सक्षम है। शासन द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य सचिव हैं।

उद्देश्य :

- स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एक सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग, क्षमता विकास और सशक्तिकरण का प्रयास करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं को एक ही स्थान पर आवश्यक सहयोग, मार्गदर्शन परियोजनाओं, उनके क्रियान्वयन, प्रभाव एवं मूल्यांकन आदि के संबंध में जानकारियाँ उपलब्ध कराना।
- राज्य शासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य विकास के सभी क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा संबंधित विषयों पर शासन को सलाह देना।
- राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण तथा इसके लिए नीतियाँ तैयार करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र, विशेषता तथा प्रभाव क्षेत्र के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना तथा उनकी सूची संधारित कर इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं और शासन को उपलब्ध करना।

- राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय कर स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जानकारी एकत्रित कर शासन को उपलब्ध करवाना।
- शासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभागीय कार्यक्रमों/नियमों में परिवर्तन करने में मदद करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए बहुउद्देशीय अभिनव परियोजनायें प्रारंभ करने हेतु शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वयक का कार्य करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय विभागों, नगरीय प्रशासन की संस्थाओं तथा पंचायत राज संस्थाओं से प्रबंधन सहभागिता तथा संवाद की क्षमता को बढ़ाने, विचारों तथा ससूचनाओं के आदान–प्रदान तथा विकास के विभिन्न मुद्दों की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण आदि के विशिष्ट कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करने हेतु एक कोष की स्थापना कर अनुदान उपलब्ध कराना।
- उपयुक्त तकनीक, समुदायिक नेतृत्व, सहभागिता, प्रशिक्षण एवं विकास के क्षेत्र में अभिनवता को प्रोत्साहित करना।
- परिषद् में पंजीकृत संस्थाओं को राज्य, केन्द्र व अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग करना।
- सामाजिक–आर्थिक विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के प्रभाव एवं मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण तथा अध्ययन आयोजित करना।
- विकास से जुड़े मुद्दों पर सेमीनार, कार्यशाला और संगोष्ठियाँ आयोजित करना।

वेबसाइट : म.प्र. जन अभियान परिषद् की संरचना, आवश्यकता, अवधारणा, उद्देश्य, कार्य, भावी योजनाएँ एवं महत्वपूर्ण प्रकाशन, नियम इत्यादि की जानकारी व ई–डायरेक्ट्री परिषद् की बेसाईट www.mpjap.org पर उपलब्ध है।

मुख्य गतिविधियां

प्रस्फुटन

- किसी भी ग्राम के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग हैं। विकास की समस्याओं के हल समाज द्वारा ही सम्भव है। ग्राम विकास तब तक संभव नहीं हो पायेगा जब तक कि उसमें स्थानीय जनभागीदारी सुनिश्चित न हो। स्वावलंबन आत्मनिर्भरता तथा ग्राम विकास हेतु प्रयासरत स्वस्फूर्त स्थानीय लोगों द्वारा ही समग्र ग्राम विकास को मूर्त रूप दिया जा सकता है। न्यूनतम संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम लाभ प्रदाय किया जा सकता है, इसका भी आंकलन गांव के लोग ही कर सकते हैं। ग्राम स्तर पर बनी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक उत्प्रेरक समूह के

रूप में कार्य करने के लिए परिषद द्वारा प्रस्फुटन योजना का प्रादुर्भाव किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में प्रतिवर्ष 10–10 ग्रामों में स्वैच्छिकता तथा सामूहिकता के आधार पर कार्य करने हेतु प्रस्फुटन समूहों का गठन किया जाना है। समूह में ऐसे व्यक्तियों को लिया गया है जो पूर्व से ही ग्राम की विभिन्न गतिविधियों, उत्सवों व अन्य कार्यक्रमों में उत्साही रूप से भागीदारी कर लोगों को एकत्र कर उनके साथ कार्य करने के अपने नेतृत्व गुण को प्रमाणित कर चुके हैं। प्रस्फुटन समूहों को लगातार तीन वर्ष तक विभिन्न प्रशिक्षण एवं शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में भागीदार बनाया जाकर एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में विकसित किया जायेगा। वर्ष 2009 में प्रदेश में 3130 प्रस्फुटन समूहों का गठन किया जाकर प्रत्येक प्रस्फुटन ग्राम को समीपवर्ती 3–4 ग्रामों से जोड़ा गया है जिन्हे स्पंदन ग्राम कहा गया है।

नवांकुर

- राज्य में नवीन स्वयंसेवी संस्थाओं का उन्मुखीकरण एवं पोषण करना परिषद् की एक प्रमुख गतिविधि है। इसके लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में एक, जिला मुख्यालय पर एक, संभाग मुख्यालय पर तीन, तीन बड़े शहरों में–इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पाँच तथा राज्य की राजधानी भोपाल में दस नवांकुरित संस्थाओं का चयन कर उनकी रूचि, क्षमता और जरूरतों के अनुसार प्रथम वर्ष में रू. 50 हजार, द्वितीय वर्ष में रु. 1 लाख और तृतीय वर्ष में रु.2 लाख का वित्तीय पोषण किया जायेगा। यह संस्थायें उस विकासखंड/जिले हेतु लीड स्वैच्छिक संगठन के रूप में कार्य करेंगी।

दृष्टि

- राज्य की समस्त पंजीबद्ध संस्थाओं का पंजीयन कर उनका परीक्षण व मूल्यांकन किया जाएगा। उनकी ताकत, कमजोरियों व अवसरों का मूल्यांकन उनके कार्यालय, मैदानी कार्य व वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य प्रकाशित दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा तथा इसके आधार पर संस्थाओं का प्रत्यायन (Accreditation) किया जायेगा।

संवाद

- इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर विकास के कार्यो के दौरान सीखी हुई सामूहिक प्रक्रियाओं को परस्पर बॉटने, विकास की रणनीतियों में आ रहे व्यवधानों को चिन्हित करने तथा विकास की प्रक्रिया को गति देने हेतु किये जाने वाले प्रयासों को साझा करने के लिए तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ संवाद, संचार, अभिप्रेरणा और सूचना संप्रेषण के उद्देश्य से राज्य, संभाग, जिला और विकासखण्ड स्तर पर संगोष्ठियां तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

समृद्धि

- स्वयंसेवी संस्थाओं की मैपिंग की जाकर स्वयंसेवी संस्थाओं में विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण, समुदाय संगठन, सामुदायिक अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के कौशलो से युक्त स्रोत व्यक्तियों की पहचान की जायेगी तथा उनके क्षमता वर्धन के लिए

समय–समय पर प्रदेश व राज्य व राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं में प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

विस्तार

- सामयिक एवं अतिआवश्यक विषयों स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण, रोजगार एवं नशा मुक्ति पर जन जागरूकता हेतु जमीनी स्तर पर व्यापक जन अभियान चलाए जायेंगे जिससे कि शासन के प्राथमिकता के विषयों पर आम सहमति बन सके तथा लोग स्वतः प्रेरित होकर इन विषयों में शासकीय प्रयासो में अपनी सहभागिता दे सकें।

महत्वपूर्ण कार्य

- **पत्रिका का नियमित प्रकाशन–** म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा माह सितम्बर 2008 से पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 में पत्रिका के 18000 सदस्य बनए गए हैं। पत्रिका की सदस्यता वार्षिक, पाँच वर्षीय एवं दस वर्षीय है।

- **समग्र ग्राम विकास कार्यशाला–** समग्र ग्राम विकास की मूल संरचना और कार्य को मैदानी स्तर पर संचालित करने के उद्देश्य से परषिद् ने विगत 21 व 22 जनवरी 2009 को समग्र ग्राम विकास कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में वित्त योजना आर्थिक व सांख्यिकी मंत्री व म.प्र. जन अभियान परिषद् के उपाध्यक्ष श्री राघव जी, सांसद श्री अनिल माधव दवे, मध्यप्रदेश योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंघई, का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यशाला में म.प्र. जन अभियान परिषद् के अशासकीय सदस्य, राज्य कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी व संभाग, जिला और ब्लॉक समन्वयक सम्मिलित हुए ।

- **प्रस्फुटन समूहों द्वारा समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन :** वर्ष 2009–10 में प्रदेश के प्रत्येक 313 विकासखण्डों में दस–दस स्वयंसेवी समूहों का चयन कर प्रस्फुटन समूहों का निर्माण किया गया इन समूहों द्वारा समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत प्रस्फुटन समूह के माध्यम से गाँवों के सक्रिय, जागरूक तथा क्षमतावान व्यक्तियों के द्वारा स्वैच्छिक एवं सामूहिक आधार पर श्रमदान एवं स्वयं के आर्थिक स्त्रोतों से विविध कार्य किये जा रहे है।

- **नेतृत्व विकास एवं समग्र ग्राम विकास कार्यशाला – दीनदयाल शेध संस्थान, चित्रकूट** म.प्र. जन अभियान परिषद् के संभाग तथा जिला समन्वयकों की नेतृत्व विकास एवं समग्र ग्राम विकास कार्यशाला दिनांक 18.05.09 से 21.05.09 तक दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट में आयोजित की गई । कार्यशाला में प्रशिक्षण के दौरान ही समन्वयकों द्वारा दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा चलाये जा रहे प्रकल्पों का अवलोकन किया गया ।

- **स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन –** म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित

करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में जिला स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ माह जुलाई–अगस्त 2009 में बैठकों का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सी.ई.ओ. एवं विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इन बैठकों में स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य विस्तार, सुचारू कार्य संचालन, कार्य में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव, मार्गदर्शन व निर्देश दिये गये।

स्वैच्छिक संगठनों की पंचायत :

स्वयंसेवी संस्थाओं के सशक्तिकरण, सुचारू कार्य संचालन तथा प्रदेश के विकास में स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता के उद्देश्य से म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2009 को मुख्य मंत्री निवास पर स्वैच्छिक संगठनों की पंचायत का आयोजन किया गया । इस पंचायत में प्रदेश में कार्यरत लगभग 1500 स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् द्वारा प्रदेश भर में गठित प्रस्फुटन समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

स्वैच्छिक संस्थाओं की पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाएँ

- **स्वैच्छिक संगठनों के लिए नीति :–** प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रियाशील नीति का निर्माण करने के लिए टास्कफोर्स का गठन किया जायेगा जो स्वयंसेवी संस्थाओं से व्यापक विचार विमर्श कर नीति को अंतिम रूप देगी। नीति को तीन माह में अंतिम रूप दिया जायेगा।
- **स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीकरण :–** स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीकरण हेतु वैब आधारित एकीकृत प्रणाली की स्थापना की जायेगी जिसमें समस्त नियम, प्रारूप एवं प्रक्रिया उपलब्ध होगी। संस्थाओं को केवल एक ही स्थान पर पंजीकरण कराने से समस्त विभागों में मान्यता मिलेगी।
- **स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रत्यायन** :– जन अभियान परिषद् के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत समस्त स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रत्यायन करने के लिए व्यवस्था स्थापित की जायेगी इससे संस्थाओं की विशेषज्ञता आधारित ग्रेडिंग उपलब्ध हो जाने से शासकीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होने में सुविधा होगी। व्यापक विचार विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया जायेगा।

- **क्षमता वृद्वि :–** प्रदेश में कार्यरत संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की कौशलवृद्धि करने के लिए अगले एक वर्ष में एक करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी। संस्थाओं के आंतरिक प्रबंधन में सुधार लाने के लिए भी क्षमतावृद्वि की जायेगी। इससे लगभग 1250 संस्थाओं को लाभ मिलेगा।
- **जिला स्तरीय सम्मेलन :–** स्वैच्छिक संस्थाओं एवं शासकीय विभागों के बीच प्रभावी रूप से समन्वय बनाने एवं समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर नियमित रूप से सम्मेलन आयोजित किये जायेंगें। जिलों के प्रभारी मंत्री दौरों के समय यथा संभव स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी भेट करेंगे।
- **सुविधा केन्द्र :–** प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर स्वैच्छिक संगठनों से जुड़े विषयों जैसे – राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिए प्रोजेक्ट तैयार कराने में मदद उपलब्ध कराने के लिए जन अभियान परिषद् सुविधा केन्द्र स्थापित करेगा।
- प्रोजेक्टर निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया जायेगा।
- **स्वतंत्र मूल्यांकन :–** शासकीय निधि से स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कराने की व्यवस्था की जायेगी ताकि इसमें पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सकें।
- **कार्यक्रमों की डायरेक्ट्री :–** मध्यप्रदेश सरकार के प्रत्येक विभाग में ऐसे कार्यों का चिन्हाकंन किया जायेगा जहाँ स्वैच्छिक संस्थायें सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। सरकार द्वारा संचालित ऐसे समस्त कार्यक्रमों की एक डायरेक्ट्री तैयार की जायेगी जिनमें स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी की व्यवस्था की गई है। इससे समस्त संस्थाओं को इन योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी।
- **डाटा उपलब्ध कराना :–** राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी जिससे सभी प्रकार के शासकीय डाटा स्वैच्छिक संस्थाओं को आसानी से उपलब्ध हो सके।
- **पुरूस्कारों की स्थापना :–** प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय पुरूस्कारों की स्थापना की जायेगी।
- जिला योजना समितियाँ जिला योजना को अंतिम रूप देने के पहले स्वैच्छिक संस्थाओं से चर्चा करेंगी।

- स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित वृद्धआश्रमों के वृद्धों के लिए निकटवर्ती अस्पतालों में एक पलंग आरक्षित रखा जायेगा।
- मुख्यमंत्री सचिवालय में एक निर्धारित फोन नम्बर पर पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों से शिकायतें प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी ताकि आवश्यक जाँच के बाद प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा संचालित जन भागीदारी योजना में स्वैच्छिक संगठनों को भी अनुमत कार्यों के लिए स्वीकृति दी जायेगी, यदि वे निर्धारित जन भागीदारी की अंश राशि जनता से एकत्रित करें।
- स्वैच्छिक संगठनों की भारत सरकार से जुडी समस्याओं के संबंध में भारत सरकार को सूचित किया जायेगा।
- स्वैच्छिक संगठनों से जुडे विभिन्न मुद्दों एवं विषयों पर यदि विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य किया जाता है तो इस हेतु प्रतिवर्ष पाँच फेलोशिप प्रदान की जायेगी ।